प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 6

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला, चौकी, एसीबी, अजमेर ..... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ... 2023.....
प्र. इ. रि. स. .....306/2023..... दिनांक .....19/12/2023.....
2. (अ) अधिनियम ... भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 .....धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन 2018) अधिनियम 1988 .....
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....1005.....समय.....6:40 P.M.....
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 18.12.2023.... समय 04.50 पीएम .....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 11.12.2023 समय.....04.05 पीएम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा दक्षिण – पूर्व 32 किलोमीटर .....
(ब) पता – अटल सेवा केन्द्र/ग्राम पंचायत भवन सनोद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर बीट सख्या .....
जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री भूपेन्द्र सिंह.....
(ब) पिता का नाम श्री नरेन्द्र सिंह .....
(स) जन्म तिथि /वर्ष 48 साल.....
(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी..... जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय..... .....प्राईवेट व्यवसाय .....
(ल) पता गांव सनोद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर.....
7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री रवि कुमार लाखीवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद बुनकर जाति बलाई उम्र 30 साल निवासी मुकाम पोस्ट चेतावाला तहसील आमेर पुलिस थाना दौलतपुरा जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का सनोद प्रथम तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....40,000रू0 रिश्वत राशि.....
.....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)..... 40,000रू0 रिश्वत राशि ...
.....
11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवामें,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अजमेर
विषयः– रिश्वत मांगने की शिकायत पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में महोदय, मै प्रार्थी भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह गौड जाति राजपूत निवासी गांव सनोद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर हूं। मेरी तरफ से इस प्रकार अर्ज हैः–यह कि मेरे रिश्ते के चाचाजी श्री हनुमान सिंह पुत्र स्व. श्री बाल सिंह जाति राजपूत निवासी गांव सनोद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर की गांव सनोद में पैतृक कृषि भूमि है। यह कि हनुमान सिंह जी की माताजी श्रीमती चान्दकंवर की मृत्यु दिनांक 22.12.2021 को हुई थी। श्रीमती चान्दकंवर की मृत्यु के पश्चात हमारे गांव में सयुंक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 4569, 4585 व 4586 में श्रीमती चान्दकंवर के हिस्से की कृषि भूमि का इन्तकाल का नामान्तरण श्री हनुमान सिंह व उनकी सगी बहिन श्रीमती गोपाल कंवर के नाम पर खोला जाना है। श्री हनुमान सिंह जी उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण खुलवाने के लिये पटवारी श्री रवि पटवार मण्डल सनोद तहसील नसीराबाद से सम्पर्क किया तो पटवारी रवि ने कहा कि बाल सिंह जी के दो पत्निया थी इसलिये मै नामान्तरण खोलने के 40,000/– अक्षरे चालीस हजार रूपये लूंगा। हनुमान जी ने मुझे ये बात बताई तो मैने पटवारी से बात की तो उसने कहा कि आप हनुमान जी को भेज देना मै नामान्तरण खोल दूंगा। आज हनुमान जी पटवारी के पास गये तो उसने वापस 40,000 रूपये रिश्वत की मांग की। यह बात हनुमान सिंह जी ने मुझे बतायी। मैने पटवारी से वापस फोन पर बात की तो उसने कहा कि आप 5–6 बजे आजाओ मै लोकेशन बता दूंगा तथा आप अकेले ही आना। यह कि मैने और हनुमान जी ने तय किया पटवारी रवि को रिश्वत नही देनी है,उसके विरूद्व कार्यवाही करवानी है। मै रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा

हूं। कृपया कार्यवाही करें। दिनांक :–11.12.2023 प्रार्थी –एसडी– (भूपेन्द्र सिंह) निवासी सनोद तह0 नसीराबाद जिला अजमेर मो.न.9636672896

कार्यावाही पुलिस कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर

दिनांक 11.12.2023 समयः–04.05 पीएम

यह तहरीरी रिपोर्ट परिवादी श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह गौड जाति राजपूत उम्र 48 साल निवासी गांव सनोद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर ने अपने चाचाजी श्री हनुमान सिंह पुत्र स्व0 श्री बाल सिंह जाति राजपूत उम्र 62 निवासी गांव सनोद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के साथ उपस्थित होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अतुल साहू के समक्ष कार्यालय मे प्रस्तुत की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रस्तुत शुदा प्रार्थना पत्र मन् निरीक्षक पुलिस दीनदयाल वैष्णव को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द की जिस पर श्री भूपेन्द्र सिंह तथा हनुमान सिंह को अपने कक्ष में लेकर उपस्थित आया। दरियाफ्त पर श्री भूपेन्द्र सिंह ने उक्त प्रार्थना पत्र कलक्ट्रेट परिसर अजमेर से टाईप करवाकर तथा प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर होना ताईद करते हुये प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्य सही होना स्वीकार किया। श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि श्री हनुमान सिंह जी ज्यादा पढे लिखे हुये नही है इसलिये मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पटवारी श्री रवि द्वारा मुझे अकेले ही बुलाया है इसलिये अब मै ही इनकी तरफ से कार्यवाही करूंगा। हनुमान सिंह ने बताया कि पटवारी को मात्र मेरे माताजी के नाम पर दर्ज भूमि का ही नामान्तरण मेरे तथा मेरी बहिन श्रीमती गोपाल कंवर के नाम पर मेरी माताजी श्रीमती चान्द कवंर की मृत्यु उपरान्त खोला जाना है। मै पटवारी जी से दो बार मिला तथा दोनो ही बार उन्होने चालीस हजार रूपये की रिश्वत मांगी है तथा भूपेन्द्र सिंह के द्वारा कहने के बाद भी वह रिश्वत की मांग कर रहा है। श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि आपके कार्यालय मे आने से थोडी देर पहले भी मैने पटवारी से बात की तो उसने पहले कहा कि वाट्सएप कॉल करो मैने वाट्सएप कॉल किया तो उसने कहा कि आप अकेले ही आना मै लोकेशन बता दूंगा। हनुमान जी और मैने तय किया कि हम उसे रिश्वत नही देंगें तथा उसे रिश्वत लेते हुये पकडवायेगें। हनुमान सिंह जी ने कहा कि आगे की सारी कार्यवाही अब मेरी तरफ से भूपेन्द्र सिंह जी ही करेंगें क्योंकि पटवारी ने इन्हे ही बुलाया है। मै इन्हे कार्यवाही हेतु अधिकृत करता हूं। पूछने पर श्री भूपेन्द्र सिंह व हनुमान सिंह ने पटवारी श्री रवि से किसी प्रकार की रजिंश नही होना बताया तथा उधार का लेनदेन भी नही होना बताया। श्री हनुमान सिंह को प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तो उसमें तथ्य सही होना स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात परिवादी श्री भूपेन्द्र सिंह को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध में अवगत करवाया गया। समय 05.00 पीएम पर कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखे हुये वायॅस रिकॉर्डर को मंगवाया जाकर उसे चालू व बन्द करने की समझाईश परिवादी को की गई। श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि पटवारी ने मुझे आज शाम को ही बुलाया है एक बार उससे मोबाईल फोन पर वार्ता कर लेते है जिस पर वायॅस रिकॉर्डर मे नया/खाली मैमोरी कार्ड डाला जाकर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9636672896 से आरोपी पटवारी श्री रवि के मोबाईल नम्बर 9875177499 पर समय 05.08 पीएम पर वार्ता करवाई गई तथा परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकार ऑन कर वार्ता को रिकॉर्ड किया गया। वार्ता मे आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी को स्वंय का दिलवाडा होना बताते हुये नसीराबाद रोड पर पेट्रोल पम्प पर मिलने की कहा। समय 05.15 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय वायॅस रिकॉर्डर मय परिवादी श्री भूपेन्द्र सिंह के परिवादी की स्कूटी से नसीराबाद की तरफ रवाना हुआ। श्री हनुमान सिंह को कार्यालय से रूख्सत किया गया। कार्यालय से रवाना होकर परिवादी की स्कूटी से समय करीब 05.45 पीएम पर नसीराबाद के आसपास पहुंचें। समय 05.47 पीएम पर परिवादी के मोबाईल फोन से पटवारी के मोबाईल फोन पर वार्ता करवाई जाकर उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता को वायॅस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया। वार्तानुसार आरोपी द्वारा परिवादी को विजयवर्गीय पेट्रोल पम्प पर बुलाया। जिस पर परिवादी श्री भूपेन्द्र सिंह सहित स्कूटी से रवाना होकर नसीराबाद बाय पास पुलिया पर पहुंचकर परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द किया तथा आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु

पटवारी श्री रवि द्वारा बताये गये स्थान के लिये रवाना किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकीम रहा। कुछ समय बाद परिवादी मन् निरीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया तथा वायॅस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा बन्द किया गया। परिवादी ने बताया कि पटवारी रवि ने 20000 रूपये मांग कर लेना तय किया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शुदा वायॅस रिकॉर्ड को सुना तो परिवादी के तथ्यो की ताईद हुई। बाद रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के नसीराबाद से रवाना होकर परिवादी की स्कूटी से एसीबी चौकी अजमेर आया। परिवादी को कार्यालय के नीचे से बाद आवश्यक हिदायत के रवाना किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। दिनांक 18.12.2023 समय 11.35 ए.एम.पर परिवादी श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय मे उपस्थित आया। परिवादी ने अवगत करवाया कि मैने पटवारी जी के बारे मे अपने स्तर पर पता किया है आज पटवारी रवि जी सनोद मे ही है। आज ट्रेप की कार्यवाही की जा सकती है। मै हनुमान सिंह जी से 20,000 रूपये पटवारी श्री रवि को देने हेतु लेकर आया हूं। समय 11.45 ए.एम.पर परिवादी श्री भूपेन्द्र सिंह के मोबाईल फोन से आरोपी श्री रवि पटवारी के मोबाईल फोन पर वार्ता करवाने का प्रयास किया गया परन्तु आरोपी द्वारा फोन रिसीव नही किया। समय 11.48 पर आरोपी पटवारी श्री रवि का परिवादी श्री भूपेन्द्र के मोबाईल फोन पर फोन आया परिवादी के मोबाईल का लाउडस्पीकार चालू कर वार्ता को वायॅस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया जिसमें आरोपी ने परिवादी को आने के लिये कहा। दो स्वतन्त्र गवाह तलबी हेतु अधीक्षण खनि. अभियन्ता खान एंव भू विज्ञान अजमेर के नाम तहरीर जारी की जाकर ईमेल किया गया। तत्पश्चात खान विभाग अजमेर से श्री कमलेश कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक कार्यालय खनि0 अभियन्ता खान एंव भू विज्ञान विभाग अजमेर व श्री असलम टांक वरिष्ठ सहायक कार्यालय खनि0 अभियन्ता खान एंव भू विज्ञान विभाग अजमेर उपस्थित आये। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना व पास ही मौजूद परिवादी श्री भूपेन्द्र सिंह का परिचय दिया जाकर ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध मे संक्षिप्त में अवगत करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व दिखाया गया। दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही मे स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो दोनो ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति प्रदान की तथा प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। वायॅस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड मे दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश गवाहान को वायॅस रिकॉर्डर चालू कर सुनाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री भूपेन्द्र सिंह को दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये पेश किये, जिन पर श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि से कार्यालय की अलमारी मे से फिनोफथलीन पाउडर मंगवाकर नोटो पर श्रीमती रूचि से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री भूपेन्द्र सिंह की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडरयुक्त नोट रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा सभी का आपस मे परिचय करवाया गया एवं की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही से अवगत करवाया गया। समय 03.45 पीएम परिवादी को उसकी स्कूटी से रवाना कर, मन् निरीक्षक पुलिस दीनदयाल वैष्णव मय, श्री नरेश चौहान निरीक्षक पुलिस, श्री बच्छराज उप निरीक्षक, श्री कैलाश चारण हैड़ कानि0 नम्बर 62 के प्राईवेट वाहन मय वायॅस रिकॉर्डर मय नये मैमोरी कार्ड, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का वायॅस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड मय लैपटॉप प्रिन्टर,ट्रेप बॉक्स आदि के प्राईवेट वाहन से, श्रीमती मीरां बेनीवाल निरीक्षक पुलिस, मय श्री रामचन्द्र हैड कानि नम्बर 58, गवाहान श्री कमलेश कुमार व असलम टांक तथा श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308 मय प्राईवेट वाहन के वास्ते ट्रेप कार्यवाही नसीराबाद की तरफ रवाना हुये। समय 04.10 पीएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के नसीराबाद से पहले बलवन्ता पहुंचें परिवादी अपनी स्कूटी सहित उपस्थित मिला वाहनो को साईड मे खडा करवाया जाकर आरोपी की

लोकेशन की जानकारी हेतु परिवादी के मोबाईल फोन से आरोपी के मोबाईल फोन पर वार्ता करवाई जाकर वार्ता को रिकॉर्ड किया गया। वार्ता में आरोपी पटवारी द्वारा स्वंय का सनोद मे होना अवगत करवाया गया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस उपरोक्त हमराहीयान के सनोद के लिये रवाना हुये। परिवादी स्वंय की स्कूटी से हुआ। गांव सनोद से कुछ पहले पहुंचकर परिवादी को वॉयस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय परिवादी के परिवादी की स्कूटी से पंचायत भवन/अटल सेवा केन्द्र के लिये रवाना होकर गांव सनोद में अटल सेवा केन्द्र/पंचायत भवन के बाहर पहुंचे परिवादी आरोपी को रिश्वत राशि देने हेतु अटल सेवा केन्द्र/पंचायत भवन के लिये रवाना हुआ। मन् निरीक्षक पुलिस अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकीम हुआ। हमराहीयान प्राईवेट वाहनो से आसपास मुकीम रहे। समय 04.50 पीएम पर परिवादी श्री भूपेन्द्र सिंह ने ग्राम पंचायत भवन/अटल सेवा केन्द्र, सनोद के बाहर आकर मन् निरीक्षक पुलिस के पास पहुंचकर बताया कि पटवारी ने रिश्वत राशि अपनी पहनी पेन्ट की जेब मे डलवा ली है इस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यो को जरिये मोबाईल फोन व हाथ के ईशारे से अपने पास बुलाने पर श्री नरेश चौहान निरीक्षक पुलिस, श्रीमती मीरा बेनीवाल निरीक्षक पुलिस, श्री बच्छराज उप निरीक्षक, श्री रामचन्द्र हैड कानि0 श्री कैलाश चारण हैड कानि0, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 व उपरोक्त स्वतन्त्र गवाह मन् निरीक्षक पुलिस के पास पहुंचे। उपरोक्त हमराहीयान एंव परिवादी श्री भूपेन्द्र सिंह को हमराह लेकर मन् निरीक्षक पुलिस ग्राम पंचायत/अटल सेवा केन्द्र के प्रथम तल पर बांयी ओर बने कमरे के सामने पहुंचे इसी दौरान परिवादी से रिकॉर्डर लेकर बन्द किया गया। उक्त कमरे में सामने लगी टेबल कुर्सी पर पीलं एंव काले स्वेटर पहने हुये जवान व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही पटवारी रवि है जिसने मेरे चाचाजी श्री हनुमान सिंह जी की मृतक माता श्रीमती चान्द कवंर के हिस्से की जमीन का विरासत का नामान्तरण खोलने की एवज मे 20,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर अभी थोडी देर पहले इस कमरे के बाहर बरामदे मे आकर इनकी पेन्ट की बांयी जेब में मेरे हाथ से 20,000 रूपये रखवाकर लिये है। इस पर उक्त व्यक्ति को मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर आने के प्रयोजन से अवगत कराते हुए इसका परिचय पूछा तो अपना नाम "श्री रवि कुमार लाखीवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद बुनकर जाति बलाई उम्र 30 साल निवासी मुकाम पोस्ट चेतावाला तहसील आमेर पुलिस थाना दौलतपुरा जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का सनोद प्रथम तहसील नसीराबाद जिला अजमेर" होना बताया। श्री रवि कुमार को को परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो कुछ देर चुप रहा। पुनः पूछने पर बताया कि " मैने रूपये नही मांगे इसने ही जेब मे रख दिये जो अभी मेरी पेन्ट की जेब मे ही पडे है मैने रूपये के हाथ भी नही लगाया है।" बीस हजार रूपये अभी जेब मे रखवाकर किस बात के प्राप्त किये है जिस पर श्री रवि ने बताया कि हनुमान सिंह जी के नामान्तरण के सम्बन्ध मे ये मेरे से मिले थे तथा उनके विरासत का सजरा का शपथ पत्र दिया था मृत्यु प्रमाण पत्र नही दिया था इसलिये नामान्तरण नही खोल पाया तथा मैने जांच की तो हनुमान सिंह जी की और बहिने होने की भी जानकारी हुई थी जिसके सम्बन्ध में इनको बताया तो इन्होने हनुमान सिंह और एक बहन गोपाल कवंर के नाम ही नामान्तरण खोलने के लिये कहा था और इसी बात के पैसे दे रहे थे मैने नही मांगे इन्होने मेरी जेब मे जबरदस्ती रख दिये" इस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने श्री रवि कुमार की बात का खण्डन करते हुये स्वतः ही बताया कि " मेरे चाचाजी हनुमान सिंह जी कि पहले वाली मां जिसका नाम भी चान्द कंवर था जिसकी मृत्यु भी काफी वर्षो पहले हो गई थी। उनके दो पुत्रिंया थी। अभी जिनकी मृत्यु उपरान्त विरासत का नामान्तरण खोलना है ये हनुमान सिंह की असली मां है। मैने पटवारी की मांग अनुसार ही इनको बीस हजार रूपये देना चाहा तो इन्होने मुझे अपनी पेन्ट की जेब मे रखने के लिये कहा जो मैने इनकी पेन्ट की जेब मे रखे है। मै पैसे देने के बाद आप लोगो को ईशारा करने के लिये नीचे सडक पर आ गया था।" आरोपी पटवारी द्वारा रिश्वत राशि लिये जाने का उचित सन्देह होने से गवाह श्री कमलेश कुमार से पटवारी की निशादेही से उसकी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब की तलाशी लिवाई गई तो 500–500 रूपये के कुछ नोट निकाले जिनका मिलान दोनो गवाहान

को पूर्व की मुर्तिब शुदा फर्द पेशकशी से करने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का मिलान कर हुबहु होना पाया गया। उक्त नोटो को गवाह श्री कमलेश कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपी पटवारी की पहनी हुई पेन्ट बरंग गहरी नीले की बांयी जेब का धोवण लिये जाने हेतु आरोपी पटवारी के पहनने हेतु एक लोअर की व्यवस्था करवाई जाकर मंगवाया गया तथा पहनी हुई पेन्ट को उतरवाया गया। ट्रेप बॉक्स में से एक पारदर्शी प्लास्टिक का नया डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उसमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। श्री रवि कुमार द्वारा पहनी हुई उक्त पेन्ट बरंग गहरा नीला की बांयी जेब को उलटवाकर सोडियम कोर्बोनेट के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात दो कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर दोनो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर मार्क क्रमंशः पी 1, पी 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त पेंट बरंग गहरा नील की बांयी जेब, जहां से रिश्वत राशि बमराद हुई पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेंट को एक सफेद कपड़े की थेली मे डालकर सील्ड कर मार्क ''पी'' अंकित किया तथा कपडे की थेली पर संबंन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी पटवारी श्री रवि को परिवादी के चाचा श्री हनुमान सिंह के नाम से सम्बन्धित दस्तावेज के सम्बन्ध मे पूछने पर बताया कि हनुमान सिंह जी एंव भूपेन्द्र सिंह 5–7 दिन पहले मेरे पास आये थे तब हनुमान सिंह जी ने मुझे शपथ पत्र (सजरा) 50 रूपये के स्टॉम्प पर एंव ईमित्र से ऑन लाईन निकाली गई जमाबन्दी की प्रतिंया दी थी जो मेरे पैड मे रखी हुई है नामान्तरण अभी नही खोला है। उक्त दस्तावेज निकाल कर प्रस्तुत करने की कहने पर आरोपी पटवारी ने अपने पैड से हनुमान सिंह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र(सजरा) दिनांक 17.10.23, खाता सख्या नया 215,216,220,221 ग्राम सनोद की जमाबन्दी दिनांक 18.10.23 प्रतिंया कुल किता 5 निकाल प्रस्तुत किये जिनके अवलोकन से पाया गया कि चान्दकवंर एंव हनुमान सिंह के सामलाती भूमि होना अंकित है। उक्त दस्तवोज के सभी पेजो पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। पंचायत भवन/अटल सेवा केन्द्र के उक्त पटवारी कक्ष के बाहर एंव पंचायत भवन के बाहर काफी ग्रामीणो की भीड एकत्रित होने से कार्यवाही मे व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका के मध्यनजर अग्रिम कार्यवाही पास ही स्थित पुलिस चौकी रामसर पर पहुंच कर किये जाने का निर्णय लिया गया। सनोद से मन् निरीक्षक पुलिस मय जब्तशुदा आर्टिकल मय हमराहीयान मय आरोपी के प्राईवेट वाहनो से रवाना होकर पुलिस चौकी रामसर पहुंचें जंहा पर कानि0 श्री शैतान नम्बर 3076 उपस्थित मिले जिन्हे तथ्यो से संक्षिप्त अवगत करवाया जाकर आगामी कार्यवाही हेतु कक्ष उपलब्ध करवाने की कहने पर पुलिस चौकी में कक्ष उपलब्ध करवाया जंहा पर बैठकर आगामी कार्यवाही आरम्भ करते हुये गवाह श्री कमलेश कुमार के पास सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि को एक पीले कागज के लिफाफे में रखकर सिल्ड कर मार्क एन अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 का पाया जाने पर आरोपी को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। समस्त कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका मुर्तिब की गई। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की ट्रासंक्रिप्ट तैयार की गई।

उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री रवि कुमार लाखीवाल पटवारी, पटवार हल्का सनोद प्रथम तहसील नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा परिवादी श्री भूपेन्द्र सिंह के चाचा श्री हनुमान सिंह के नाम उनकी मृतक माता श्रीमती चान्द कंवर के हिस्से की कृषि भूमि का विरासत का नामान्तरण खोलने की एवज में परिवादी श्री भूपेन्द्र सिंह से दिनांक 11.12.2023 को वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता 20,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना व अपनी मांग के

अनुसरण मे दिनांक 18.12.2023 को परिवादी से 20,000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना जो रिश्वत राशि आरोपी पटवारी की पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब से बरामद होना पाया गया। पेन्ट की बांयी जेब के धोवण का रंग गुलाबी होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री रवि कुमार लाखीवाल, पटवारी पटवार हल्का सनोद प्रथम तहसील नसीराबाद जिला अजमेर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 का कारित करना पाया जाने पर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित हैं।

(दीनदयाल वैष्णव)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दीनदयाल वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रवि कुमार लाखीवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद बुनकर, हाल पटवारी, पटवार हल्का सनोद प्रथम, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 306/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

19.12.23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक:- 3141-44 दिनांक 19.12.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. जिला कलक्टर (भू.अ.), जिला अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।